"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 अगस्त 2013—भाद्र 4, शक 1935

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-9/2013/मबावि/50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 12 में, शब्द एवं अंक "अपेक्षित योग्यताधारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद पर चयन के अवसर प्रदान करने हेतु परिसीमित सीधी भर्ती हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी किन्तु कुल पद का प्रतिशत 25 से अधिक नहीं होगी." के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद में अवसर प्रदान करने के प्रयोजन के लिये, पर्यवेक्षकों की 25 प्रतिशत रिक्तियां इसके नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुये परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे :

परन्तु महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में पर्यवेक्षकों की भर्ती के प्रयोजन के लिये परिसीमित सीधी भर्ती का प्रतिशत केवल एक बार के लिये 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी."

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (5) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "75% सीधी भर्ती 25% परिसीमित सीधी भर्ती" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिन्ह "कुल रिक्तियों में से 75% पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 25% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (8) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परिसीमित सीधी भर्ती से 25 प्रतिशत पदों की पूर्ति की जायेगी" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिन्ह "भविष्य में पर्यवेक्षकों की समस्त विद्यमान रिक्तियों तथा उद्भूत नई रिक्तियों के 25% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. अनुसूची-दो के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाये, अर्थात् :—
"टीप :—पर्यवेक्षकों के सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में परिसीमित सीधी भर्ती का प्रतिशत केवल एक बार के लिए 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 1-9/2013/मबावि/50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-9/2013/मबावि/50, दिनांक 26-08-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

Raipur, the 26th August 2013

NOTIFICATION

No. F. 1-9/2013/WCD/50.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Women and Child Development Department, Executive Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Rule 12, for the words and figure "Following procedure shall be adopted for providing opportunity to Anganwadi workers having required qualification for limited direct Recruitment as supervisor. But not exceed 25 percent worker", the following shall be substituted, namely :—

"For the purpose of providing opportunities to the eligible Anganwadi Workers in the post of supervisor, 25 percent vacancies of the supervisors shall be filled up by limited direct recruitment, following the process mentioned hereunder :

Provided that for the purpose of recruitment of supervisors, in Integrated Child Development Projects in Scheduled Areas of the state under Women and Child Development Department, percentage of limited direct Recruitment shall be increased only for one time, from 25 percent to 75 percent."

2. In column (5) of serial number 6 of Schedule-II, for the words, figures and symbols "75% direct recruitment and 25% limited direct recruitment", the words, figures and symbols "out of the total vacancies 75% posts shall be filled by direct recruitment and 25% by limited direct recruitment from Anganwadi workers" shall be substituted.

3. In column (8) of serial number 6 of Schedule-II, for the words, figures and symbol "25% of the posts shall be filled up by limited direct recruitment of Anganwadi workers", the words, figure and symbol "All existing vacancies of supervisors and new vacancies arising in future, 25% shall be filled up by limited direct recruitment from Anganwadi workers" shall be substituted.

4. After Schedule-II, the following note shall be added, namely :—
"NOTE :- For the purpose of recruitment of supervisors, in Integrated Child Development Projects in Scheduled Areas of the State under Women and Child Development Department, percentage of limited direct recruitment shall be increased only for one time, from 25 percent to 75 percent."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUBRAT SAHOO, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.